अहकाम

सरकार जरिये तहसीलदार फागी बनाम श्योराम वगैरह
प्रार्थना पत्र रेफेरेन्स मुकदमा सख्या 14 / 2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.09.2021	पत्रावली राजस्थान सरकार के आदेश पत्रांक राजस्व ग्रुप–1 प 9 (2)राज–1/2020 दिनांक 29.12.2020 व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्रांक कोर्ट /क्षे.अ./2021/525 के दिनांक 01.02.2021 के आदेशानुसार जयपुर जिले मे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितिय) जयपुर न्यायालय का सृजन करते हुऐ क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है। उक्त पत्रावली में क्षेत्राधिकार निर्धारण होने के कारण प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार फागी को जवाब पेश करने हेतु रजि0 एडी0 द्वारा नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	692-93 / 27.9.21
	12/10/2021	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज राजकार्य से बाहर/व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/10/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	20/10/2021	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार फागी जयपुर के पत्रांक /LR/2021/4245 दिनांक 13/8/2021 द्वारा इस प्रकरण को वापस लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तथा इस प्रकरण से संबंधित न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम में विचाराधीन प्रकरण मुकदमा उन्वान ठाकुर श्री कृष्णचन्द्र जी महाराज बनाम श्योराम वगैरह मुकदमा संख्या 52/2004 दिनांक 23/7/2021 को निस्तारण किया जा चुका है। अतः इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर)	